# संपादकीय

वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू हुए लगभग 30 वर्ष होने को हैं। इन तीन दशकों में स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक बदलाव हुए हैं। अत: शिक्षा व्यस्था में बदलाव लाना ज़रूरी हो गया है। इसी बदलाव को ध्यान में रखते हुए नयी शिक्षा नीति बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस प्रक्रिया में आम नागरिक से लेकर शिक्षाविद् तक सभी की भागीदारी हो, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए स्थानीय, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गोष्ठियों का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है।

भावी शिक्षा नीति के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 13 प्रकरण (Themes) सुझाए हैं। भारतीय आधुनिक शिक्षा के इस अंक में शामिल लेख इन प्रस्तावित प्रकरणों के इर्द-गिर्द घूमते हैं।

पवन सिन्हा का लेख शिक्षा से जुड़े सबसे बुनियादी सवाल की तलब करता है, यह सवाल है – वास्तव में हमारे लिए शिक्षा के मायने क्या हैं ? केवल किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेना, रोज़गार प्राप्त कर लेना या कुछ और। इन्हीं सवालों के जवाबों पर हमारी शिक्षा व्यवस्था की नींव टिकी है। इसी सवाल से जुड़ा एक और सवाल है कि क्या हमारे स्कूली बच्चे भय और तनाव से मुक्त वातावरण में पलते-बढ़ते और पढ़ते हैं? इस सवाल को विमर्श कर मुद्दा बनाया है केवलानंद काण्डपाल ने अपने अनुभव परक लेख में। लेखक का मानना है कि विद्यालय को तनावमुक्त बनाने के लिए केवल नीति बनाना या भाषण देना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके लिए विद्यालय के वातावरण, प्रक्रियाओं और मान्यताओं में बदलाव लाना ज़रूरी है।

योगेन्द्र और सुषमा का लेख बाल मज़दूरी के प्रति ध्यान आकर्षित करता है जो आज भी हमारे देश में एक गंभीर सामाजिक सरोकार है, जिसकी वजह से लाखों बच्चे नारकीय जीवन जी रहे हैं और शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं।

कमज़ोर और वंचित वर्ग के बच्चों को विद्यालयों तक पहुँचाने और उन्हें वहाँ बनाए रखने के लिए मध्याह्न आहार कार्यक्रम की भूमिका बहुत अहम है। प्रिंस परमार का शोधपरक लेख यह बताता है कि प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के माता-पिता इस कार्यक्रम के बारे में क्या सोचते हैं।

पिछले कई दशकों से शिक्षा के स्तर में लगातार सुधार हो रहा है। परंतु शोध और अनुभव यह बताते हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी हमारे विद्यार्थियों में उन कौशलों का विकास नहीं हो पाता जो रोज़गार प्राप्त करने के लिए ज़रूरी हैं। अनिल बाबू का विश्लेषणात्मक लेख आज के सदंर्भ में शिक्षा को रोज़गार उन्मुख बनाने की सिफ़ारिश करता है।

इसी कड़ी में संजय कुमार सुमन ने अपने लेख में भारी संख्या में लोगों को विभिन्न व्यवसायों के लिए गुणात्मक प्रशिक्षण देने में आई.सी.टी. के उपयोग की चर्चा की है।

अरुण कुमार वर्मा योग शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए इसे स्कूली पाठ्यचर्या में अनिवार्य रूप से शामिल किए जाने पर ज़ोर दे रहे हैं। लेखक ने योग के सैद्धांतिक ज्ञान के बजाय विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा इसके अभ्यास पर ज़ोर दिया है।

रश्मि श्रीवास्तव ने अपने लेख में विद्यालयी अनुशासन पर गांधी जी के विचारों को उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जिन्हें पढ़कर पाठकों को लगेगा कि ये विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, बस ज़रूरत है उन पर अमल करने की।

सामाजिक मुद्दों के प्रति संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सुधीर कुमार तिवारी और दीपा मेहता का लेख भारतीय हिंदी सिनेमा में विकलांगता के विभिन्न रूपों के चित्रण का ब्यौरा देता है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम समावेशी कक्षा की सिफ़ारिश करता है, जहाँ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य कहे जाने वाले बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। परंतु क्या इसके लिए हम अपने शिक्षकों को प्रभावी तरीके से तैयार कर पा रहे हैं। भारती ने अपने अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया है कि सेवापूर्व – विशेष आवश्यकता शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम समावेशी शिक्षा के संदर्भ में कितने सार्थक हैं।

पाठ्यचर्या व शैक्षिक प्रक्रिया मे बदलाव तभी प्रभावी ढंग से लागू किए जा सकते हैं, जब शिक्षक इसके लिए व्यावसायिक रूप से तैयार हों। इसके लिए समय-समय पर शिक्षकों की कुशलताओं और क्षमताओं का आकलन करना ज़रूरी है। जितेन्द्र कुमार पाटीदार और विजयन के. शिक्षकों के लिए निष्पादन सूचकों की जानकारी दे रहे हैं जिन्हें एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा विकसित किया गया है।

भावी शिक्षा नीति से जुड़े किसी भी लेख का हम स्वागत करेंगे।

*अकादमिक संपादकीय समिति*